उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–4

संख्या बी-4-796/दस–2006-10 (22)-1994

लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2006

कार्यालय–ज्ञाप

शासन द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूतियों पर लिये जाने वाले शुल्क के निर्धारण विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-4-1094/दस-2000-10 (28)/1994, दिनांक 15 सितम्बर, 2000 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15 सितम्बर, 2000 के पूर्व स्वीकृत प्रत्याभूतियों पर देय प्रत्याभूति शुल्क के संबंध में निम्नवत् स्पष्टीकरण जारी किये जाने का निर्देश हुआ है :–

"सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के पक्ष में दिनांक 06 अप्रैल, 1972 से दिनांक 14 सितम्बर, 2000 तक स्वीकृत प्रत्याभूतियों पर तत्समय प्रचलित आदेशों के तहत कोई प्रत्याभूति शुल्क देय नहीं था। अतः उक्त अवधि में स्वीकृत प्रत्याभूतियों के सापेक्ष दिनांक 15 सितम्बर, 2000 को अथवा उसके बाद अवशेष राशि पर प्रत्याभूति शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा। दिनांक 15 सितम्बर, 2000 के उपरान्त स्वीकृत प्रत्याभूतियों पर प्रत्याभूति शुल्क वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-4-1094/दस–2000-10(28)/1994, दिनांक 15 सितम्बर, 2000 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वसूल किया जायेगा। यदि किसी प्रत्याभूति हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2000 के पूर्व मंत्रीपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था, परन्तु प्रत्याभूति विलेख का निष्पादन उक्त तिथि के उपरान्त किया गया तो ऐसी प्रत्याभूतियों पर भी प्रत्याभूति शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।"

2– कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-4-1094/दस–2000-10 (28)/1994, दिनांक 15 सितम्बर, 2000 में निहित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,
बी0 एम0 जोशी,
सचिव, वित्त।

संख्या बी-4-796(1)/दस–2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2–गोपन अनुभाग–1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/19/2006–सी0एक्स0(1) दिनांक 19 जुलाई, 2006 के संदर्भ में सूचनार्थ।

3–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार,
उप सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 29 सा० वित्त–31–8–2006–(1589)–2,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

4.65 64 000
45 34 36 000